सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 101 राँची, मंगलवार, 8 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

8 नवम्बर, 2021

विषय:- वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

संख्या-18/विविध (07) 02/2018- 4291--विभागीय संकल्प संख्या-3801, दिनांक 10.07.2018 द्वारा वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु आकर्षक एवं उत्साहवर्द्धक नयी नीति निरूपित है। उक्त नीति द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों/उग्रवादियों को मिलने वाले लाभ संबंधी प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए जिला स्तर ही निष्पादित करने का प्रावधान किया गया है। फलस्वरूप अधिक संख्या में उग्रवादी/नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं एवं पुनर्वास नीति के तहत उन्हें देय लाभ त्वरित एवं सरलता से मिल रहा है। उक्त संकल्प की कंडिका-7.2 में आत्मसमर्पित उग्रवादी को उसके अनुरोध पर अधिक से अधिक संख्या में खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) में स्थानान्तरण की नियम सम्मत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान किया गया था ।

2. वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित उग्रवादी/नक्सली को मिलने वाले लाभों में उन्हें खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) में रखने का उल्लेख किया गया है। परन्तु संकल्प में स्पष्ट प्रावधान/नियम नहीं होने के कारण खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) में रख पाना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणामतः आत्मसमर्पित नक्सलियों/उग्रवादियों में हताशा का भाव उत्पन्न होने का मामला सरकार के संज्ञान में आ रहा था। तद्क्रम में इस नीति को और अधिक आकर्षक एवं उत्साहवर्द्धक बनाने हेतु आत्मसमर्पित नक्सलियों/उग्रवादियों को खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) में रखने के प्रावधान को सरल एवं सुगम बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

3. उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.10.2021 में मद संख्या-02 में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3801, दिनांक 10.07.2018 की अन्य कंडिकाओं को यथावत रखते हुए कंडिका-7.2 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"7.2 आत्मसमर्पित उग्रवादी/नक्सली को, जिसने इस नीति के तहत् आत्मसमर्पण किया हो, उसके अनुरोध एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर उन्हें खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 101 -- 50